न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति० जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नामः— अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः— 06/2021

उनवान

1. मगनसिंह पुत्र छीतरमल, जाति राजपूत निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर हाल जिला नीम का थाना (राज.)

———अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

————रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना प्रकरण उनवानी सरकार बनाम श्री मगनसिंह प्रकरण संख्या 96/2018 किस्म मुकदमा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) के तहत दिनांकित 16.09.2019

उपस्थितः— श्री राजेन्द्र सिंह तँवर एडवोकेट ——— **अपीलान्टस**

निर्णय **दिनांकः— 19.01.2024**

संक्षेप्त में अपील अपीलान्ट के तथ्य इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के नाम अंकित एक निराधार रिपोर्ट जो कि एक प्रफोर्मा में टाइपशुदा है जिसमें अपीलान्ट का संवत् 2075 से खसरा नं. 2301/1 रकबा 7.05 है. चारागाह भूमि में से रकबा 0.08 है. तथा खसरा नं. 2312 रकबा 0.61 है. सिवाय चक भूमि में से रकबा 0.31 है. भूमि पर तारबंदी करके नाजायज कब्जा करने का आक्षेप लगाया है। उक्त रिपोर्ट पर पटवारी हल्का के स्थान पर कोई सीताराम नाम अंकित है तथा उसके नीचे 2014 अंकित किया हुआ है। परंतु कोई दिनांक अंकित नहीं है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के कार्यालय में प्रस्तुत हुई जिस पर बिना कोई कारण व आधार के चार साल बाद दिनांक 27.04.2018 को अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91(6) एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया तथा तारीख पेशी दिनांक 23.05.2018 वास्ते अपीलान्ट की तलबी एवं जवाब हेतु निर्धारित की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2018 को प्रकरण चार साल बाद तथा एक निराधार रिपोर्ट के आधार प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2019 को पारित किया गया है जो निम्न कारण कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के नाम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त होने पर अपीलान्ट न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र अरनिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:11 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

में पेश हुआ जहा तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को प्रकरण राजीनामा नहीं होना बताया और पुनः न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत नोटिस दिया जावेगा तब न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर देना इस पर अपीलान्ट निश्चित हो गया तथा अधिनस्थ न्यायालय समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2018 को तहसील कार्यालय में आकर अपीलान्ट के खीलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत् आदेश पारित करके दिनांक 16.09.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया। अपीलान्ट का भूमि खसरा नम्बर 2301/1 रकबा 7.05 है. चारागाह पर कोई कब्जा नहीं है तथा भूमि खसरा नं. 2312 रकबा 0.61 है. पर पूर्वजों के जमाने पर पुरातन कब्जा है। जिसकी नियमितीकरण की अभिशंषा भी की गई है तथा अपीलान्ट ने अपने हक अधिकारों की उदघोषणार्थ नियमित वाद भी प्रस्तुत कर रखा है। उसमें संवत् 2075 में कोई अतिचार नहीं किया है।

अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं हुई है व दिनांक 16.09.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया व आदेश कि पालना में अपीलान्ट के खिलाफ गिरफतारी का वारंट भी जारी कर दिया गया। जिसमे निमित दिनांक 03.11.2019 को थानाधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट के घर सिपाही भेजा गया परंतु अपीलान्ट नहीं मिला तथा अपीलान्ट के परिजन मिले जिन्हे अपीलाधीन आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 04.11.2019 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश के बारे में जानकारी हुई। जानकारी से यथाशीघ्र अपील तैयार करवाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तु की जा रही है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब काबिले माफ है। इस संबंध में अलग से भी एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2019 अपास्त किया जावें।

पत्रावली पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट कि ओर से श्री राजेन्द्र सिंह तँवर एडवोकेट उपस्थित एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर अनुपस्थित। वकील अपीलान्ट की प्रार्थना–पत्र धारा 5 व अपील पर बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद बाबत दफा 5 का पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

मूल अपील की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि भूमि खसरा नं. 2301/1 कुल रकबा 7.05 है. किस्म चारागाह में 0.08 व भूमि खसरा नम्बर 2312 रकबा 0.61 किस्म सिवायचक में से 0.31 में तारबंदी कर अतिक्रमण करना बताया गया है। जिसके कारण अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) के तहत दोषी पाये जाने के संबंध में कार्यवाही की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 14.11.2019 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर को सूचना हेतु पत्र लिखा जाकर उसमें अंकन किया कि अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है एवं सिवायचक पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है एवं उक्त खसरा नम्बर पर नियमन कमेटी ने दिनांक 29.06.1999 को नियमन किया जाना अंकित किया है।

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/2019/2067 दिनांक 14.11.2019 से यह तो स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है। परन्तु सिवायचक भूमि पर से अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। उक्त सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2312 पर तत्समय नियमन कमेटी ने आदेश दिनांक 29.06.1999 को नियमन करने का आदेश होना बताया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:11 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
श्रीमाधोपुर

अगर भूमि को नियमन योग्य नहीं माना, तब भी समय पर सक्षम न्यायालय में प्रार्थना–पत्र क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन किये बिना ही प्रकरण में कार्यवाही कि गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में मौके व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। उपर्युक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील–अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार, श्रीमाधोपुर के मुकदमा नम्बर 96/2018 उनवानी सरकार बनाम मगन सिंह में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2019 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का गुणावगुण पर पुनः परीक्षण कर समस्त पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति के साथ तहरीर जारी कि जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

उक्त आदेश आज दिनांक 19.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना सीकर
(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:11 IST
Reason: SelfAttested